रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 497/ 2009

पप्पी @महबूब ... अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य ... उत्तरदाता

निर्णय

ए. एम. खानविलकर, न्यायाधीश

1. यह अपील अभियुक्त नंबर 1 द्वारा दायर की गई है, जिसे भारतीय दंड संहिता ("भा.द.स.") की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। अपराध करने में शामिल अभियोजन पक्ष द्वारा नामित सात अभियुक्तों में से पांच अभियुक्तों पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2, (फास्ट ट्रैक), 2 कोटा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 77/2001 में मुकदमा चलाया गया था। यह घटना 15 जनवरी, 1998 को हुई जब मीनावाला बाबा की दरगाह से लौट रहे गुड्डू उर्फ शहजाद पर आरोपियों ने हमला किया। यह घटना यूनुस (पी डब्ल्यू 6) द्वारा देखी गई, जिन्होंने प्रश्नगत घटना के तुरंत बाद उसी दिन पुलिस स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, कोटा में एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी 9) दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि जब गुड्डू उर्फ शहजाद मीनावाला बाबा की दरगाह से लौट रहा था, तो अभियुक्त पप्पी उर्फ महबूब (अभियुक्त नंबर 1/ अपीलकर्ता), इदरीश (अभियुक्त नंबर 2), लक्ष्मण

(अभियुक्त नंबर 5), हेमू उर्फ हेमंत (अभियुक्त नंबर 6), ज्ञानी उर्फ ललित कुमार सिंह (अभियुक्त नंबर 4) और दो अन्य, जो तलवार से लैस थे, ने उसे तलवार से मारा। जब यूनुस (पी डब्ल्यू 6) ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो इदरीश ने तलवार से वार किया जो उसके बाएं हाथ की उंगलियों पर लगी। उन्हें इससे दूर रहने या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहा गया था। यूनुस (पी डब्ल्यू 6) ने तब उस स्थिति में पूरी घटना को देखा जब अभियुक्त व्यक्तियों ने गुड्डू पर बार-बार हमला किया, जिसने चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

2. एफ़आईआर दर्ज करने और स्थानीय पुलिस द्वारा मामले की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया और मामले को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2, (फास्ट ट्रैक), कोटा के समक्ष विचारण के लिए भेजा गया। हालांकि रिपोर्ट में सात व्यक्तियों का उल्लेख किया गया था, इदरीश (अभियुक्त नंबर 2) और शम्सू (अभियुक्त नंबर 7) पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका क्योंकि वे फरार थे। पांच अभियुक्तों, पप्पी (अभियुक्त नंबर 1/ अपीलकर्ता), साबिर (अभियुक्त नंबर 3), ज्ञानी (अभियुक्त नंबर 4), लक्ष्मण (अभियुक्त नंबर 5) और हेमू (अभियुक्त नंबर 6) के खिलाफ मुकदमा चला और उन्हें धारा 148, 302 और 324/149 भा.द.स. के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया गया था। साबिर (अभियुक्त नंबर 3) को आरोप से बरी कर दिया गया। अभियुक्त पप्पी (अपीलकर्ता), हेमू, ज्ञानी और लक्ष्मण को भा.द.स. की धारा 147, 307, 307/149, 323/149 के तहत अपराध करने के आरोप से बरी कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 4 सितंबर, 2002 को उच्च न्यायालय के समक्ष पप्पी (अभियुक्त नंबर 1), ज्ञानी (अभियुक्त नंबर 4) और हेमू (अभियुक्त नंबर 6) द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1614/2002 के रूप में चुनौती दी गई थी और लक्ष्मण (अभियुक्त संख्या 5) ने आपराधिक अपील संख्या 1275/2002

के रूप में अलग अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा दोनों अपीलों का निस्तारण निम्नलिखित आदेश के अनुसार किया:

> “25. उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित शर्तों पर तत्काल अपीलों का निपटान करते हैं:
>
> (I) पप्पी @ महबूब की अपील खारिज की जाती है और भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत उसकी दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी जाती है। हालांकि, उसे भा.दं.सं. की धारा 148 और 324/149 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है।
>
> (ii) ज्ञानी @ ललित कुमार सिंह, हेमू @ हेमंत और लक्ष्मण की अपील स्वीकार की जाती है और उन्हें भा.दं.सं. की धारा 302, 148 और 324/149 के आरोपों से बरी किया जाता है। ये अपीलकर्ता जेल में हैं, इन्हें तत्काल पूरी तरह से रिहा कर दिया जाएगा, अगर उन्हें किसी अन्य मामले में हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।
>
> (iii) जैसा ऊपर बताया गया है, विद्वत विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय संशोधित किया गया है।"

3. परिणामस्वरूप, पप्पी (अभियुक्त नंबर 1/अपीलकर्ता) जिसे अकेले भा.द.स. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, इस न्यायालय के समक्ष अपील में है।

4. अपीलकर्ता पप्पी (अभियुक्त नंबर 1) ने आक्षेपित निर्णय और आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि साक्ष्य की गुणवत्ता जो अभिलेख में आई है, उसके खिलाफ दोषसिद्ध दर्ज करने के योग्य नहीं है और मामले में, विचारण न्यायालय ने साबिर (अभियुक्त संख्या 3) को बरी कर दिया और उच्च न्यायालय ने अन्य तीन सह-आरोपियों ज्ञानी, हेमू और लक्ष्मण को बरी कर दिया और यह भी कि इदरीश (अभियुक्त नंबर 2) और शम्सू (अभियुक्त नंबर 7) के खिलाफ अभियोजन आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि वे फरार थे, उच्च न्यायालय द्वारा ज्ञानी, हेमू और लक्ष्मण के मामले में दर्ज किए गए उन्हीं कारणों से अपीलकर्ता बरी होने का हकदार है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा उक्त अभियुक्तों द्वारा दायर की गई अपीलों को पैराग्राफ 23 और 24 में दर्ज कारणों से अनुमति दी थी जो इस प्रकार है:

> "23. अभिलेख में मौजूद सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि शम्सू के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था और इदरीश मुकदमे के दौरान फरार हो गया था। विचारण न्यायालय ने साबिर को इस आधार पर बरी कर दिया कि एफ़आईआर में उनका नाम नहीं था।
>
> 24. न्यायिक जांच की एक प्रक्रिया द्वारा यूनुस, राशिद और रफीक के साक्ष्य का विशेष रूप से उसकी विश्वसनीयता और सत्यता के संदर्भ में विश्लेषण करने के बाद, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता ज्ञानी, हेमू और लक्ष्मण का मामला शम्सू और साबिर के मामले से अलग नहीं है। इन सभी अभियुक्तों को घायल चश्मदीद यूनुस द्वारा समान भूमिका सौंपी गई है। चूंकि शमसु के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था और साबिर को बरी

कर दिया गया था और राज्य द्वारा उसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी, इसलिए हमारी राय में, अपीलकर्ता ज्ञानी, हेमू और लक्ष्मण संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। अभियुक्त इदरीश के बारे में हम कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते क्योंकि वह हमारे सामने नहीं है।"

5. हमने सुश्री ऐश्वर्या भाटी, अपीलकर्ता की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता और श्री जयंत भट्ट, राजस्थान राज्य के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना है और हमने अभिलेख का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। विचारण न्यायालय के निर्णय से यह देखा गया है कि अभियुक्त पप्पी, हेमू, ज्ञानी और लक्ष्मण के विरूद्ध विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन मत को अनिवार्य रूप से यूनुस (पीडब्ल्यू 6) और राशिद (पीडब्ल्यू 9) के साक्ष्य पर के आधार पर माना गया है। विचारण न्यायालय ने उनके साक्ष्य को विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि बचाव पक्ष यूनुस (पीडब्ल्यू 6) की विश्वसनीयता को हिला नहीं सका जो एक घायल चश्मदीद गवाह था और राशिद (पीडब्ल्यू 9) एक स्वतंत्र चश्मदीद गवाह था - घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति स्वाभाविक पाई गई है। उनके साक्ष्य के अलावा, विचारण न्यायालय ने अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखा है, यथा मृतक गुड्डू को लगी 67 चोटें, जिससे वह अंततः मर गया, पप्पी (अभियुक्त नंबर 1) सहित संबंधित अभियुक्तों से तलवारों की बरामदगी आदि।

6. विशेष रूप से, यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी यूनुस (पी डब्ल्यू 6) और राशिद (पी डब्ल्यू 9) के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त ज्ञानी, हेमू और लक्ष्मण को केवल इस आधार पर संदेह का लाभ दिया कि उनका मामला शम्सू और साबिर के मामले से अलग नहीं था। जहां

तक अभियुक्त शम्सू का संबंध है, आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सका क्योंकि वह विचारण के दौरान फरार रहा। जहां तक साबिर का संबंध है, विचारण न्यायालय ने उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा था जैसे एफ़आईआर में उसका नाम नहीं था और यूनुस (पी डब्ल्यू 6) ने देर से उसकी संलिप्तता का खुलासा किया था। जाहिर है कि यूनुस को उसका नाम नहीं पता था। इसके अलावा, यूनुस द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसका नाम उसे (यूनुस) एक दुकानदार ने बताया था। लेकिन उस दुकानदार का नाम न तो यूनुस ने लिया और न ही अभियोजन पक्ष ने उसकी जांच की। इसके अतिरिक्त, अपराध करने में साबिर की भागीदारी स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा रफीक (पीडब्लू 5) की जांच की गई थी, लेकिन विचारण न्यायालय ने पीडब्लू 5 को अविश्वसनीय गवाह के रूप में अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा साबिर को बरी करना अलग आधार पर था और इस तथ्य तक सीमित नहीं था कि उसका नाम एफआईआर में नहीं था, जैसा कि आक्षेपित निर्णय के अनुच्छेद 23 में उल्लेख किया गया है। जैसा भी हो, यह देखा गया है कि साबिर के विपरीत ज्ञानी, हेमू और लक्ष्मण के नाम एफ़आईआर में दर्ज किए गए हैं। हालांकि, न तो राज्य और न ही शिकायतकर्ता ने उन अभियुक्तों के पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज उक्त निष्कर्ष पर सवाल उठाने के लिए अपील दायर करने का विकल्प चुना है (आक्षेपित निर्णय के अनुच्छेद 24 में)।

7. प्रश्न है: क्या यह तथ्य कि साबिर (अभियुक्त नंबर 3) को विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया है और सह अभियुक्त ज्ञानी (अभियुक्त नंबर 4), हेमू (अभियुक्त नंबर 6) और लक्ष्मण (अभियुक्त नंबर 5) को उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है, अपने आप में अपीलकर्ता - पप्पी (अभियुक्त नंबर 1) को बरी करने का आधार हो सकता है? हमारा जवाब स्पष्ट "नहीं" है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमें यह दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी करने का प्रयास किया कि साक्ष्य की गुणवत्ता वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है और अपीलकर्ता पप्पी (अभियुक्त नंबर 1) के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालाँकि, दो न्यायालयों के निर्णयों और संबंधित अभिलेख को देखने के बाद, हमारा विचार के हैं कि अपीलकर्ता पप्पी (अभियुक्त नंबर 1) के खिलाफ विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए अपराध की दोषसिद्धि और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई एक संभावित दृष्टिकोण है और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पूर्वोक्त, विचारण न्यायालय ने यूनुस (पी डब्ल्यू 6) और राशिद (पी डब्ल्यू 9) के साक्ष्य पर भरोसा करने के अलावा अपीलकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए अन्य परिस्थितियों का भी सहारा लिया। इस तरह के निष्कर्ष को अभिलेखित करने के लिए साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद हैं। केवल इसलिए कि अपीलकर्ता को अकेले धारा 302 के तहत बताए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जबकि अन्य आरोपितों को बरी कर दिया गया है, इसका अर्थ यह नही कि दोषसिद्धि और अपराध कारित करने मे संलिप्तता को साबित करने के पुख्ता साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद होने के बाद भी अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। यह एक अलग मामला है कि उन्हीं गवाहों यूनुस (पी डब्ल्यू 6) और राशिद (पी डब्ल्यू 9) ने अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में बात की है जिन्हें अब बरी कर दिया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जिस कारण से उच्च न्यायालय ने सह अभियुक्त ज्ञानी, हेमू और लक्ष्मण को बरी कर दिया, उनके खिलाफ अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उनके पक्ष में गलत निष्कर्ष अपीलकर्ता के लिए उपयोगी नहीं होगा जिसका नाम और भूमिका एफ़आईआर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और साथ ही गवाह यूनुस (पी डब्ल्यू 6) और राशिद (पी डब्ल्यू 9) द्वारा भी

जिनकी विश्वसनीयता अडिग रही है। इन गवाहों द्वारा अपराध करने में अपीलकर्ता की भूमिका स्पष्ट रूप से बताई गई है। उन्होंने कहा है कि अपीलकर्ता ने तलवार से पहला प्रहार किया, जिसके बाद अन्य अभियुक्तों ने उसका पीछा किया और बार-बार मृतक गुड्डू पर हमला किया, जिससे उसके पूरे शरीर पर 67 चोटें आईं, जिनमें से अधिकांश चीरने की चोटें हैं जो तलवार से संभव है। मृतक गुड्डू को लगी चोटों को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में निम्नलिखित रूप में दर्ज किया गया हैः

> गुड्डू @ शाहजाद पुत्र यामीन मोहम्मद जाति मोहम्मदेन आयु 19 वर्ष, निवासी सेफ्टी मैच बॉक्स फैक्ट्री दुडवाड़ा कोटा पुलिस थाना रेलवे कॉलोनी पीएमआर संख्या 21/98 16.01.98
>
> मृत्यु पूर्व चोटें:
>
> 1. चीरा घाव- 5x1 सेमी x हड्डी गहरा पार्श्विका खोपड़ी के केंद्र में तिरछा। लाल रंग ।
>
> 2. घर्षण - माथे के बाएं आधे हिस्से पर 8x4 सेमी।
>
> 3. घर्षण - (संख्या में 4) प्रत्येक माथे के सामने 1x1 सेमी।
>
> 4. घर्षण - नाक पर दाहिनी ओर 2 x ½ सेमी।
>
> 5. घर्षण - बाएं गाल मैक्सिलरी क्षेत्र पर 3x2 सेमी।
>
> 6. चीरा घाव- 8x ½ सेमी स्किन डीप दाहिने हाथ पर ऊपरी 1/3 पार्श्व पक्ष तिरछा।

7. चीरा घाव 5x ½ सेमी x दाहिने अरमा मध्य 1/3 अग्रस्थ पर स्किंडिप अनुप्रस्थ।

8. खरोंच- दाहिने हाथ के लैट साइड पर 4 सेमी लंबा तिरछा।

9. चिरा घाव- 2x ½ सेमी x स्किंडिप राइट आर्म लोअर 1/3 पश्च अनुप्रस्थ।

10. चीरा घाव - दाहिनी कोहनी के पीछे की तरफ 9x2 सेमी x हड्डी गहरी खड़ी। राइट रेडियस और उल्ना ऊपरी 1/3 का फ्रैक्चर है।

11. खरोंच - दाहिनी कोहनी के लेट साइड पर 6 सेमी तिरछा।

12. चीरा घाव - दाहिनी कोहनी अनुप्रस्थ के लेट साइड पर 6x1 सेमी x स्किंडिप।

13. खरोंच - 5 सेमी दाहिने अग्र भुजा के पीछे अनुप्रस्थ 1/3

14. चीरा घाव - डिस्टल इंटरफालिर्जियल 1t पोस्ट पर दाहिनी छोटी उंगली पर 1 ½ x ¼ सेमी x स्किनडीप।

15. चीरा घाव - 2 ¼ सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक दाहिनी ओर लंबवत।

16. चीरा घाव - अंगूठे और तर्जनी के वेब स्थान पर दाहिने हाथ पर 1 x ¼ सेमी x स्किनडीप।

17. खरोंच - दाहिनी तर्जनी के पीछे ½ सेमी लंबा।18. खरोंच - दाहिनी मध्य उंगली के पीछे ½ सेमी लंबा।

19. खरोंच- छाती के दाहिनी ओर अनुप्रस्थ 10 सेमी।

20. खरोंच - छाती के दाएँ बाएँ पक्ष पर 6 सेमी लंबा लंबवत।

21. घर्षण -उदर के दाईं ओर 5x1 सेमी

22. घर्षण - बाएं कंधे पर 6x1 सेमी ।

23. खरोच - बाएं स्क्रेपुलर क्षेत्र पर 13 सेमी तिरछा

24. खरोच - ऊपरी बाएं कंधे के सामने 1/3 पर 5 सेमी हाल ही में।

25. खरोच - बाएं कंधे के ऊपरी 1/3 भाग पर 8 सें.मी हाल ही में।

26. खरोंच - बाएं हाथ के ऊपरी 1/3 पार्श्व अनुप्रस्थ पर 5 सेमी।

27. खरोंच - बाएं हाथ के बीच में 3 सेमी अनुप्रस्थ 1/3 हाल ही में।

28. खरोंच एम- 7 सेमी बाएं हाथ पर नीचे 1/3 पार्श्व।।

29. चीरा घाव -2 ½ x ½ सेमी x स्किनडीप बायीं बांह की कलाई के ऊपरी 1/3 पर पीछे तिरछा।

30. चीरा घाव - 10x7 सेमी x बोनडीप ऊपरी बाईं बाँह पर 1/2 ऊपरी 1/3 त्रिज्या और उल्ना के फ्रैक्चर के साथ।

31. चीरा घाव - 2x¼ सेमी स्किनडीप बाएँ अग्रभाग पर निचला 1/3 तिरछा।

32. चीरा घाव - 7x 5 सेमी x बोनडीप बायीं कलाई पर पीछे का मध्य भाग त्रिज्या उल्ना के निचले 1/3 के फ्रैक्चर के साथ अनुप्रस्थ देखा गया।

33. चीरा घाव - 6x1 सेमी x स्किनडीप चोट संख्या (32) के समानांतर बाईं कलाई पर।

34. चीरा घाव - 3 x 1 सेमी x मसल डीप बाएँ अग्र-भुजा मध्य में 1/3 अग्र अवस्थित।

35. चीरा घाव - 3 x ¼ सेमी x स्किंडीप बाएं हाथ की पीठ पर अनुप्रस्थ।

36. चीरा घाव - 2x ½ सेमी x मसल डीप बाईं तर्जनी में ।

37. चीरा घाव- 1 x ¼ सेमी स्किंडीप बायीं मध्यमा अंगुली पर।

38. चीरा घाव - 3 x ¼ सेमी x स्किनडीप बाएं प्लाम पर।

39. चीरा घाव - 8 x 3 सेमी x मसल डीप, बायीं हथेली पर लंबवत।

40. चीरा घाव - 3 x ¼ सेमी x स्किनडीप बायीं हथेली।

41. चीरा घाव- 6x2 सेमी x मसल डीप, बाएं होंठ पर पार्श्व तिरछा।

42. चीरा घाव - 4 x 1 सेमी अनुप्रस्थ x स्किनडीप बाईं जांघ के बीच में 1/3 पाशर्ववत ।

43. चीरा घाव - 1x ¼ सेमी x स्किनडीप बाएं उच्च मध्य 1/3 पाशर्ववत ।

44. चीरा घाव - 5 x 1 सेमी x स्किनडीप बाईं जांघ पाशर्ववत।

45. खरोच - बाएं घुटने के ठीक ऊपर 5 से.मी. अनुप्रस्थ।

46. चीरा घाव - बाएं घुटने के पार्श्व की ओर 1 x ¼ सेमी x स्किनडीप

47. चीरा घाव -2 x ½ सेमी x स्किनडीप बाएं घुटने की टोपी पर तिरछा।

48. खरोच - बाएं घुटने की टोपी के निचले हिस्से पर 4 सें.मी.।

49. खरोच -3 सें.मी. बाएं पैर के ऊपरी हिस्से पर 1/3 पाशर्ववत।

50. खरोंच - 4 सेमी अनुप्रस्थ बाएं पैर के ऊपरी हिस्से पर 1/3 अनुप्रस्थ।

51. खरोंच - 5 सेमी बायां पैर मध्य 1/3 पाशर्ववत।

52. चीरा घाव - 5 x 1 सेमी x स्किनडीप बायां पैर मध्य 1/3 तिरछा।

53. घर्षण - 3 x 1 सेमी बायां पैर मध्य 1/3 अग्र अवस्थित ।

54. चीरा घाव - 3 x ½ सेमी x स्किनडीप बाएं पैर के निचले हिस्से में 1/3 पार्श्व अनुप्रस्थ।

55. चीरा घाव - 8 x 2 सेमी x बोनडीप बाएं टखने के मध्य भाग में।

56. चीरा घाव - 8 x 4 सेमी x मसल डीप बाएं घुटने के पीछे।

57. खरोंच - छाती के ऊपरी हिस्से के पीछे 15 सेमी।

58. चीरा घाव (संख्या में 4) - बाएं होंठ के पीछे 2 x ½ सेमी x मसल डीप ।

59. चीरा घाव - दाहिने होंठ के पीछे 2 x ½ सेमी x मसल डीप ।

60. खरोच - 8 सेमी अनुप्रस्थ दाहिने उच्च मध्य 1/3 के पार्श्व पर।

61. घर्षण - 6x3 सेमी दाहिना पैर ऊपरी 1/3 पार्श्व।

62. चिरा घाव - 2 x ½ सेमी x मसल डीप दाहिने पैर पर बीच मे 1/3 एंटली।

63. चीरा घाव: 4 x 1 सेमी x स्किंडीप दाहिने घुटने की टोपी पर।

64. चीरा घाव: 3x1 सेमी x बोनडीप दाहिने पैर के बीच में 1/3 अग्र अवस्थित।

65. चीरा घाव: 5 x 3 सेमी x बोनडीप दाहिना पैर निचला 1/3 आंतरिक रूप से राइट टिबिया और फाइबुला लोअर 1/3 के फ्रैक्चर के साथ।

66. चीरा घाव: 3 x 1 सेमी x स्किंडीप दाहिने टखने के अनुप्रस्थ के मध्य भाग में।

67. घर्षण : 1 x ½ सेमी दाहिने ग्रेटसे का मध्य भाग।

उपरोक्त सभी चोटें मृत्यु पूर्व प्रकृति की हैं।

समय अवधिः मृत्यु से पहले ताज़ा।

हथियार : चोट के लिए भी धारदार (1), (6) - (20), (23) - (52), (54) - (60), (62) - (66)

कुंद - (2)-(5), (21), (22), (53), (61), (67)।"

9. यूनुस (पी डब्ल्यू 6) और राशिद (पी डब्ल्यू 9) दोनों ने कहा है कि जब गुड्डू जियारत करके मीनावाला बाबा की दरगाह से पैदल वापस आ रहा था, तो पप्पी (अभियुक्त नंबर 1), इदरीश (अभियुक्त नंबर 2), लक्ष्मण (अभियुक्त नंबर 5), हेमू (अभियुक्त नंबर 6), ज्ञानी (अभियुक्त नंबर 4), साबिर (अभियुक्त नंबर 3) और शम्सू (अभियुक्त नंबर 7) सामने की तरफ से दौड़ते हुये आये और वहां पहुंचते ही, अभियुक्त पप्पी उर्फ महबूब (अपीलकर्ता) ने गुड्डू के सिर पर तलवार का पहला प्रहार किया। यह संस्करण अविचलित रहा है। उसी घटना में यूनुस (पी डब्ल्यू 6) स्वयं घायल हो गया था, जब इदरिश ने तलवार से हमला किया था जो उसके बाएं हाथ की उंगली

में लगी थी। यूनुस (पी डब्ल्यू 6) और राशिद (पी डब्ल्यू 9) के साक्ष्य के अलावा, अपीलकर्ता के कहने पर तलवार की बरामदगी जैसी अन्य परिस्थितियां भी साबित हुई हैं - जैसा कि विचारण न्यायालय ने पाया और जिसके निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा बाधित नहीं किया गया है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, अपराध करने में अपीलकर्ता की भूमिका को स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उसने तलवार से पहला प्रहार करते हुए गुड्डू पर हमला करने में अगुवाई की।

10. अपीलकर्ता का तर्क कि यह दर्शाने के लिए कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा दिए गए प्रहार से कौन-सी क्षति हुई, हमारे विचार में यह योग्यता से रहित है। अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सफल रहा कि मृतक गुड्डू को 67 चोटें लगीं, जिनमें से अधिकांश तलवार जैसे धारदार हथियार से किए गए घाव थे। डॉक्टर की राय में, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया की मौत कई चोटों और कई फ्रैक्चर के परिणामस्वरूप सदमे के कारण हुई थी। यह हमला तब तक जारी रहा जब तक कि गुड्डू पूरी तरह से स्थिर नहीं हो गया और उसने जवाब देना बंद नहीं कर दिया। घायल चश्मदीद यूनुस (पी डब्ल्यू 6) और अन्य चश्मदीद राशिद (पी डब्ल्यू 9) द्वारा पहला आघात करने और हमले को जारी रखने में अपीलकर्ता की भागीदारी की बात कही गई है। विचारण न्यायालया द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों के साथ साक्ष्य, इसलिए, अपीलकर्ता पप्पी (अभियुक्त नंबर 1) के खिलाफ दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा।

11. अपीलकर्ता ने **दुर्गा बर्मन रॉय बनाम सिक्किम राज्य**[1] के मामले में आदेश पर भरोसा किया, जिसमें, हालांकि, अभियुक्त को बरी कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ किसी भी ठोस सबूत को इंगित करने में विफल रहा था और क्योंकि जिस सह-अभियुक्त के खिलाफ गला घोंटने के

---

1 (2014) 13 एससीसी 35

सबूत थे, वह पहले ही बरी हो चुका था। यहां तक कि **सदानंद मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[2] के मामले में निर्णय, जिसमें अदालत ने अपीलकर्ता को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन अपराध के कृत्य में अपीलकर्ता की संलिप्तता के बारे में उचित संदेह से परे मामले को स्थापित करने में विफल रहा था और कि समान साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष के पूरे मामले पर विश्वास न करते हुए सह-अभियुक्तों को पहले ही बरी कर दिया गया था। अति विस्तार से बचने के लिए, हम अपीलकर्ता के वकील द्वारा भरोसा किए गए अन्य निर्णयों का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं जो उस मामले के तथ्यों पर आधारित हैं।

12. वर्तमान मामले में, तथापि, हम पाते हैं कि अपराध करने में अपीलकर्ता (अभियुक्त सं.1) की संलिप्तता को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य है, जो स्वतंत्र गवाह (पी डब्ल्यू 9) के अलावा घायल चश्मदीद गवाह (पी डब्ल्यू 6) और अन्य परिस्थितियों द्वारा दिये गये है, जो अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करते हुए, जिसने पहला प्रहार किया और आगे भी प्रहार करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप मृतक गुड्डू को कई चोटें आईं और उन चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

13. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि संदेह का लाभ देकर सह-अभियुक्त को बरी करना, अन्यथा विश्वसनीय साक्ष्य को खारिज करने का कोई आधार नहीं हो सकता है, जो अपराध कारित करने में अपीलकर्ता की मिलीभगत की ओर इशारा करते हुए अडिग रहा है। इस मामले को देखते हुए, भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता सिंप्लिसिटर को दोषी ठहराते हुए, पांच अभियुक्तों में से अकेले अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध के निष्कर्षों की पुष्टि करने वाले आक्षेपित निर्णय के साथ कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। इसलिए, यह

---

2 (2013) 15 एससीसी 293

अपील विफल होनी चाहिए और इसे खारिज किया जाता है। जमानत बांड रद्द किया जाता है।

14. अंतत, हम दोनों पक्षों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ताओं द्वारा दी गई प्रतिभासंपन्न सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करते हैं।

न्यायाधीश (ए. एम. खानविलकर)

न्यायाधीश (अजय रस्तोगी)

नई दिल्ली

5 फरवरी, 2019

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।